



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249064
CG-DL-E-29092023-249064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]
No. 558]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सं. 57/2023- सीमाशुल्क

सा.का.नि. 703(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 1 और 1क को क्रमशः 1क और 1ख के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, और क्रम संख्या 1क से पहले जैसा कि पुनः क्रमांकित किया गया है, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	0703 10 11	बैंगलोर रोज़ प्याज	शून्य	7";

- (ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7.	निर्यात के लिए अभिप्रेत माल को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि निर्यातक कर्नाटक सरकार के हॉर्टिकल्चर आयुक्त से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, जिसमें निर्यात किए जाने वाले बैंगलोर रोज़ प्याज की वस्तु और मात्रा को प्रमाणित किया गया हो।”
-----	---

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/190/2023-टीओ (टीआरयू-1)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं. 50/2023- सीमा-शुल्क, तारीख 25 अगस्त, 2023, द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 629 (अ), तारीख 25 अगस्त, 2023, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

No. 57/2023-Customs

G.S.R. 703(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, namely:-

In the said notification,

- (i) in the Table, S. Nos. 1 and 1A shall be re-numbered as 1A and 1B respectively, and before Sl. No. 1A as so re-numbered, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1.	0703 10 11	Bangalore Rose Onion	Nil	7”;

- (ii) in the Annexure, after Condition number 6 and the entries relating thereto, the following Condition number and entries shall be inserted, namely: -

“7.	Goods meant for export shall be allowed to be exported subject to exporter furnishing a certificate from the Horticulture Commissioner, Government of Karnataka, certifying the item and quantity of Bangalore Rose Onion to be exported.”.
-----	---

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. CBIC-190354/190/2023-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, and was last amended *vide* notification No. 50/2023-Customs, dated the 25th August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 629 (E), dated the 25th August, 2023.